

# मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल

(0755) 2464428, 2466191 Fax: {0755} 2463742 e-mail: it.mppcb@rediffmail.com


क्रमांक 4296 /स्था/प्रनिबो/2022

भोपाल, दिनांक 04 NOV 2022

## कार्यालय आदेश

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के तहत जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम 2016 के अन्तर्गत संस्थानों द्वारा प्राधिकार हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन के साथ देय शुल्क संबंधी बोर्ड के आदेश क्रमांक 1081/स्था/प्रनिबो/2022 भोपाल दिनांक 31 मार्च 2022 पर राज्य बोर्ड की 162 वीं बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार उक्त शुल्क संरचना को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है, संशोधित शुल्क संरचना अनुसार शुल्क दिनांक 1/11/2022 से प्रभावशील होगा :-

क्र.	नियम	पंजी/ अनु/ प्राधिकार	प्रशासकीय शुल्क (रुपये)
1	जीव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 2016	प्राधिकार	1 क्लीनिक, पेथोलॉजी लेब, ब्लड बैंक एवं अन्य नॉन बेडेड संस्थान, 10 बिस्तर तक के चिकित्सा संस्थान 1,000/- एकबार आजीवन 2 10 बिस्तर से अधिक के चिकित्सालय हेतु रुपये 1000/- प्रतिवर्ष (दस शैया तक) एवं रुपये 100 प्रति बिस्तर प्रतिवर्ष अतिरिक्त । 3 जीव चिकित्सा अपशिष्ट अपवहन संस्थान से रुपये 25,000/- प्रतिवर्ष 4 जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन में संलग्न परिवहनकर्ता संस्थान से रुपये 10,000/- प्रतिवर्ष



( ए०ए० मिश्रा )

सदस्य सचिव

पृ० क्रमांक 4297 /स्था/2022  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 04 NOV 2022

- 1 स्टॉफ ऑफीसर, अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ
- 2 समस्त यूनिट हेड, मुख्यालय आंचलिक अधिकारी/क्षेत्रीय अधिकारी/ प्रयोगशाला प्रभारी, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- 3 नोटिस बोर्ड/गार्ड फाईल/आईटी शाखा/कार्यालय आदेश

( ए०ए० मिश्रा )

सदस्य सचिव,